दिनांक 19.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 20/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18/19.04.2024 की रात्रि थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिपरी मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सईम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सईम निवासी मोहल्ला कटरा कस्बा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली कोंच

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **21 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.04.2024 को थाना कोतवाली कोंच व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैलिया रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की

गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शेरे अली उर्फ शेरू 2—शरीफ घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—मोनू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 21 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शेरे अली उर्फ शेरू के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, औरैया, जालौन के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शेरे अली उर्फ शेरू निवासी जल्लापुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

2—शरीफ निवासी नौरंगाबाद थाना रूरा जनपद कानपुर देहात हालपता—ब्लाक नं0—36 आलमचंद पुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

3—मोनू निवासी जल्लापुर थाना राजपुर कानपुर देहात।

<u>बरामदगी</u>

1—21 हजार 200 रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल।

3—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद कासगंज/थाना सोरों</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 51 हजार 110 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.04.2024 को थाना सोरों व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड के सामने से 02 अभियुक्तों 1—सरजू 2—राजकुमार को

गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 51 हजार 110 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सोरों क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सोरों पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सरजू के विरूद्ध जनपद कासगंज के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सोरों पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सरजू निवासी ग्राम रजपुरा थाना नयागांव जनपद एटा।

2—राजकुमार निवासी ग्राम गौडा थाना पटियाली जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—लूटे गये 51 हजार 110 रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हमीरपुर/थाना राठ

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **33 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **03 खोखा, 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 19.04.2024 को थाना राठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैना रोड पर स्थित खाली पड़ा कचरा घर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—भान सिंह 2—राजू को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से 33 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 खोखा, 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त भान सिंह के विरूद्ध जनपद महोबा, मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना राठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—भान सिंह निवासी ग्राम लहदरा थाना हरपालपुर म0प्र0।

2—राजू निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1—33 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—03 खोखा, 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

4—01 मोटर साइकिल।

जनपद सम्भल/थाना कैलादेवी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 18.04.2024 को थाना कैलादेवी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सारंगपुर अमावती तिराहा से 03 अभियुक्तों 1—विकास 2—रविशंकर 3—अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना कैलादेवी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी ग्राम भटौला थाना कैलादेवी जनपद सम्भल।

2—रविशंकर निवासी ग्राम भटौला थाना कैलादेवी जनपद सम्भल।

3—अंकित निवासी ग्राम भटौला थाना कैलादेवी जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना ईकोटेक प्रथम

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **24 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **12 कारतूस 315 बोर, 06 अवैध नाल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 18.04.2024 को थाना ईकोटेक प्रथम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना पुस्ते के पास टेक जोन 1 प्लॉट नं0—09 निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—जुबेर 2—मसील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 24 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 अवैध नाल, 12 कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जुबेर के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जुबेर निवासी नयी आबादी दादरी थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2—मसील निवासी नयी आबादी दादरी थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर हालपता—जनता फ्लैट सेक्टर—122 नोएडा।

<u>बरामदगी</u>

1–24 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–12 कारतूस 315 बोर, 06 अवैध नाल।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कासिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कासिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोटल्ले को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 65 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस ने अभियुक्त 1–शाह आलम उर्फ धोनी पुत्र मो0 जमा उर्फ जम्मा निवासी शेख जगदन बघरा थाना तिबाती जनपद मुजफ्फरनगर 2–कोमल पुत्र विंध्याचल निवासी तरमा कला थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति कीमत करीब 65 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

<u>एसटीएफः फर्जी आई0डी0 पर सिम एक्टिवेट कर भारत के बाहर (दुबई, कम्बोडिया, चीन आदि देशों में) सप्लाई करने वाले गैंग का 01 सदस्य गिरफ्तार।</u>

दिनांक 18–04–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को फर्जी आई0डी0 पर सिम लेकर उन्हें एक्टिवेट कर भारत के बाहर दुबई, कम्बोडिया, चीन आदि देशों में सप्लाई करने

करने गैंग के 01 सदस्य को थाना सदर बाजार जनपद मेरठ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रितिक राज पुत्र रामबाबू रजक नि0 ग्राम हजरतपुर थाना मिनापुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार हाल पता बसंत बिहार कालोनी, कुनाई चौक, पटना बिहार।

बरामदगीः-

1. 179 अदद सिम कार्ड
2. 03 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः-

दिनांक 18–04–2024 स्थानः भैसाली रोडवेज बस स्टेण्ड के पास थाना सदर बाजार जनपद मेरठ समय 16.00 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को फर्जी आई0डी0 पर सिम लेकर उन्हें एक्टिवेट कर भारत के बाहर दुबई, कम्बोडिया, चीन आदि देशों में सप्लाई करने वाले गैंग के सक्रिय होकर अपराध करने वाले गिरोह के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उप निरीक्षक प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी जयवर्धन, हे0कां0 विकास बैंसला, हे0कां0 विनय कुमार की टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देष्य से भ्रमणषील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्तियों का एक गिरोह है जो फर्जी आईडी पर सिम खरीदकर उन्हें भारत से बाहरी देषों में भेजते है। साथ ही इस सिम कार्ड से फर्जी यूपीआई और एकाउण्ट तैयार कर गेमिंग एप डाउनलोड कर व्यक्तियों से धोखाधड़ी करते है। इसी गैंग का एक सदस्य दिल्ली जाने वाली रोडवेज बस स्टैण्ड जनपद मेरठ

पर खड़ा है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा ज्ञात स्थान से उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त रितिक राज उपरोक्त का टेलीग्राम पर फेक सिम कार्ड बैंक एकाउण्ट @prem_singh_seller के नाम से चैनल हैं। इस चैनल के माध्यम से ही फर्जी सिम की खरीद फरोक्त करने वाले व्यक्ति उससे सम्पर्क में रहते है। इसी माध्यम से वह बडी संख्या में 400–500 रूपये प्रति सिम कार्ड खरीदकर दुबई, कम्बोडिया एवं चीन आदि देशो में लगभग 2000 से 2500 रूपये प्रति सिम सप्लाई करता है। इसी चैनल के माध्यम से रितिक राज की मुलाकात रोनित कुशवाहा निवासी महोबा से हुई थी, जिससे वह लगभग 2000 सिम ले चुका हैं तथा अब तक लगभग 3 से 4 हजार सिम विदेशों में सप्लाई कर चुका हैं। वासिफ व शकील नाम के व्यक्तियों ने रू0 2800/– के रेट से सिम लेने के लिए बुलाए थे। वासिफ ने रितिक राज को यह भी बताया था कि शकील नि0 न्यू अशोक नगर दिल्ली, जिसकी दिल्ली में ही फास्ट टेंग ट्रेवलर के नाम से एजेन्सी है। यह सिम कार्ड व बैंको के एटीएम कार्ड अपने जानने वाले साहिल को दुबई पहुँचाता है। साहिल (दुबई मे रहता है) वासिफ व शकील से सिम व एटीएम लेकर फर्जी यूपीआई व फर्जी एकाउण्ट तैयार कराता है फिर इन्हीं सिम कार्ड के मदद से आनॅलाईन गेमिंग एप्लीकेशन तीन पत्ती, फ्री फायर आदि से जोड़कर लोगों से ठगी करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सदर बाजार, मेरठ में मु0अ0सं0 65/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि व 66 सी/66डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———